

कार्यालय, जिला पचांयत—हरदोई।

पत्रांक— 1460 /जि०पं०का०/2019-20,

दिनांक : 18 दिसम्बर, 2019 हरदोई



अनुमति—पत्र

श्री दीलीप कुमार सिंह, प्रबन्धक सोनेलाल पटेल स्मृति शिक्षा समिति, ग्राम सुभानखेड़ा, पोस्ट सुभानखेड़ा, तहसील सण्डीला जनपद हरदोई के अन्तर्गत दीपक इंस्टीट्यूट आफ फार्मेसी, ग्राम भटौली, पोस्ट भटौली, तहसील सण्डीला जनपद हरदोई के मानचित्र स्वीकृत किये जाने विषयक प्रार्थना पत्र दिनांक 25 नवम्बर, 2019 के सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि उन्हे निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के आधार पर दिनांक 18 दिसम्बर, 2019 को, प्रस्तावित मानचित्र के अनुसार निर्माण कार्य की स्वीकृति दी जाती है:-

1. स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप ही निर्माण कार्य करना होगा अन्यथा मानचित्र की स्वीकृति स्वयं निरस्त समझी जायेगी और नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
2. स्वीकृति की अनुज्ञा अगले पाँच वर्ष तक वैध है। पाँच वर्ष में निर्माण कार्य पूर्ण न होने का पर्याप्त कारण बताने पर उक्त अवधि को दो वर्ष के लिए (किन्तु एक बार में एक वर्ष तक) बढ़ाया जा सकता है। नवीनीकरण प्रार्थना—पत्र स्वीकृत अवधि समाप्त होने के कम से कम एक माह पूर्व देना होगा।
3. यदि किसी प्रकार सचार भूमिगत लाइन, टेलीफोन, वाटर पाइप आदि की लाइनों पर भवन निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान कर दी गई हो तो वह स्वतः निरस्त समझी जाएगी।
4. अपर मुख्य अधिकारी/अभियन्ता जिला पचांयत किसी भी समय भवन/निर्माण की छानबीन/निरीक्षण कर सकेंगे। निरीक्षण के समय मानचित्र प्रस्तुत करना होगा।
5. किसी भी विद्युत तार/लाइन के नीचे निर्माण नहीं करना होगा एंव सड़क/गली/नाली/नाला पर अतिक्रमण नहीं किया जाएगा।
6. भू—स्वामित्व का दायित्व प्रार्थी पर होगा। मानचित्र स्वीकृति के आधार पर भू—स्वामित्व का हक नहीं प्राप्त होगा। भू—स्वामित्व के सम्बन्ध में प्रश्नगत स्थल पर दी गयी स्वीकृति, किसी भी समक्ष न्यायालय के अधीन होगी।
7. भू—स्वामित्व अथवा किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाकर प्राप्त की गयी स्वीकृति की जानकारी होने पर मानचित्र निरस्त कर दिया जाएगा तथा तदनुसार किया गया निर्माण अनाधिकृत माना जाएगा।
8. भवन निर्माण में अग्निशमन हेतु मनको के अनुरूप प्रबन्ध करने का दायित्व प्रार्थी पर होगा।

संलग्नक : एक प्रति स्वीकृति मानचित्र।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पचांयत, हरदोई।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पचांयत, हरदोई।